## राजस्थान – सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ

**पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार आर.ए.एस**

**01 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –235/2015**

**अनुवान – इन्द्रचन्द आदि बनाम बालचन्द आदि**

**02 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –252/2015**

**अनुवान – बालचन्द बनाम इन्द्रचन्द आदि**

1. इन्द्रचन्द पुत्र मोहनलाल जाति प्रजापत निवासी सुजानगढ जिला चूरू राज.
2. रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति प्रजापत निवासी सुजानगढ जिला चूरू राज.
3. शिवभगवान पुत्र मोहनलाल जाति प्रजापत निवासी सुजानगढ जिला चूरू राज.

–प्रार्थीगण

**बनाम**

1. बालचन्द पुत्र हुकमाराम जति प्रजापत दुलिया बास चुंगी नका के पास सुजानगढ जिला चूरू राज.
2. परमेश्वरी पत्नी मन्नालाल जति प्रजापत सुजानगढ जिला चूरू राज.
3. निर्मला पत्नी ओमप्रकाश जति प्रजापत निवासी मलसीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राज.

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

उपस्थितः–

1. श्री रमेश चन्द्र बिस्सु एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री निर्मल सिंगोदिया एडवोकेट अप्रार्थी

आदेश दिनांक –31.10.2019

## आदेश

प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इन्द्रचन्द आदि बनाम बालचन्द आदि तथा अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 252/2015 बालचन्द बनाम इन्द्रचन्द आदि पेश किया जिसे एक समान भूमि व एक ही पक्षकार होने से पत्रावली इन्द्रचन्द आदि बनाम बालचन्द्र आदि के साथ संलग्न की गई। दोनों प्रकरणों की एक ही विषय वस्तु व समान पक्षकार होने के कारण आदेश एक साथ लिखवाया जा रहा है। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट व आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा 151 दिवानी प्रकिया संहिता पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के सयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग को खेत खसरा नं. 151 तादादी 4 बीघा 15 बिस्वा वाके रोही दुलिया तहसील सुजानगढ में स्थित चला आ रहा है जो कि प्रार्थीगण के पिता स्व. मोहनलाल कब्जा काश्त अधिकार उपयोग उपभोग में एवं प्रार्थीगण के पिता स्व. मोहनराम के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त भूति जिसके वर्तमान खसरा नं. 151 तादादी 4 बीघा 15 बिस्वा हुये प्रार्थीगण के सयुक्त कब्जा काश्त अधिकार में चली आ रही है। उपरोक्त वादगत भूमि खेत खसरा नं. 151,152,154,156,157,158 वाके रोही दुलिया प्रार्थीगण के दादा स्व. रामुराम ने अपने पुत्र संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिलाती संयुक्त परिवार की आय से अपने पुत्र हुकमाराम के नाम खरीद की थी, जो कि उपरोक्त तमाम भूमि का उसी वक्त अपने तमाम पुत्रों में भूमि का बराबर–बराबर विभाजन करवा कर कब्जा काश्त अपने जीवन काल में सम्भला दिया था, जिसमे खसरा नं. 151 प्रार्थीगण के पिता स्व. मोहनराम के हक हिस्सा कब्जा काश्त अधिकार मे दी गई जिस प्रार्थीगण का कब्जा काश्त उपयोग वर्तमान में निर्बाध रूप से शांति पूर्वक चला आ रहा है, जिस पर अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं उत्पन होता है बाकि भूमियां रामुराम ने अपने अन्य संन्तानों के कब्जा विभाजन में दी। (खसरा गिरदावरी सम्वत 2031) वादगत खेत प्रार्थीगण के पुश्तैनी व कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने के कारण वादी को वादाधार वाद प्राप्त है वादगत भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने व अप्रार्थीगण के नाम गलत खातेदारी होने से व अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 21.07.2015 को वादगत भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने से इन्कार करने व भूमि से बेदखल करने की धमकिया देने से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद हैतुक प्राप्त है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रर्थाना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुल वाद पाबन्दकिया जावें कि खेत

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

खसरा नं. 151 तादादी 4 बीघा 15 बिश्वा वाके राही दुलिया की भूमि से प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल नही करें व नही विक्रय हस्तान्तरण करे व नही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारों पर विपरित असर पड़ता हो।

प्रर्थाना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा संबंधित पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादगत खेत अप्रार्थी संख्या 01 के पिता स्व. हुक्कमाराम का स्व. अर्जित है अप्रार्थी संख्या 01 के पिता स्व. हुक्कमाराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से वादगत खेत की खातेदारी नाम दर्ज हो गई। दिनांक 27.03.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 से वादगत खेत में से 3 बिश्वा भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की थी और उसी वक्त कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी संख्या को सौंप दिया था, जो विक्रय पत्र वैध है। इसलिये प्रार्थीगण को धोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही है।

प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थीगण का साबित नही है अपूर्त्य क्षति एवं सुविधा के सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

प्रार्थी इन्द्रचन्द आदि ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त भूमि में प्रार्थी को आवासीय मकान को सही दुरस्त करने व टीन के स्थान पर पटिया डालने की इजाजात फरमावे ताकि प्रार्थी को प्रार्थी के परिवार को जान माल का खतरा नही हो। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया की दावा न्यायालय में विचाराधीन है जिसके कारण प्रार्थी को अनुमति नही दी जावें। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी इन्द्रचन्द आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील प्राथीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जायें। अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 252/2015 बालचन्द बनाम इन्द्रचन्द आदि पेश किया जिसे एक समान भूमि व एक ही पक्षकार होने से पत्रावली इन्द्रचन्द आदि बनाम बालचन्द्र आदि के साथ संलग्न की गई।

वकील उभय पक्ष की बहस का मनन किया व दोनों पत्रावलीयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया दोनों पत्रावलीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टीया मामला , सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति का सिद्धांत को दृष्टीगत रखते हुये दोनों पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण पक्ष व अप्रार्थीगण पक्ष दोनों को मूल वाद

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नं. 151 तादादी 4.15 बिघा रोही दूलिया तहसील सुजानगढ के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय की एक प्रति बालचन्द बनाम इन्द्रचन्द आदि के साथ भी संलग्न करे। दोनों पत्रावलियां दोनों पत्रावलियां निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ
उपखण्ड अधिकारी

सुजानगढ